प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 04.03.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

जिलाधिकारी खीरी एवं पुलिस अधीक्षक खीरी की अध्यक्षता में तहसील सदर में "संपूर्ण समाधान दिवस" का आयोजन

आज दिनांक 04.03.2023 को जनपद के प्रत्येक तहसील स्तर पर "संपूर्ण समाधान दिवस" का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी खीरी, श्री महेन्द्र बहादुर सिंह व पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा तहसील सदर पर उपस्थित रहकर "संपूर्ण समाधान दिवस" की अध्यक्षता की गई। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर जनशिकायतों की निष्पक्ष जाँच करके विधिक निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध रूप से निस्तारण करने तथा जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है उन पर रिपोर्ट लगाकर सम्बंधित अधिकारी को प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने सर्किल की तहसीलों में उपस्थित रहकर जनशिकायतों का निस्तारण कराया गया।

थाना शारदानगर पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त सूरज उर्फ कमलेश पुत्र ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 04.03.2023 को थाना शारदानगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1465/2022 धारा 498A/306/506 भादवि व 3/4 DP ACT कोतवाली सदर खीरी में वांछित अभियुक्त सूरज उर्फ कमलेश पुत्र ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश निवासी ग्राम बड़ागांव थाना शारदानगर जनपद खीरी को रौलीपुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

सूरज उर्फ कमलेश पुत्र ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश निवासी ग्राम बड़ागांव थाना शारदानगर जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 अशोक कुमार, थाना शारदानगर
2. हे0का0 अवधेश सिंह थाना शारदानगर
3. का0 अंकित कुमार थाना शारदानगर

<u>थाना फरधान पुलिस द्वारा, 17 घंटे के अन्दर 15 वर्षीय गुमशुदा बच्चें को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में गुमशुदा/अपहर्ताओं की सकुशल बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फरधान पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खेतौसा निवासी एक 15 वर्षीय लापता/गुमशुदा बच्चें को 17 घन्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस द्वारा की गई इस त्वरित कार्यवाही की बच्चें के परिजनों व स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की जा रही है।

थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा, चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए वांछित अभियुक्त सतीश पुत्र प्रमोद को चोरी की बैट्री व 01 अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 04.03.2023 को थाना तिकुनिया पुलिस मु0अ0सं0 41/23 धारा 380/411 भादवि की घटना का सफल अनावरण करते हुए वांछित अभियुक्त सतीश पुत्र प्रमोद को 01 अदद चोरी की बैट्री बरामद कर रेलवे क्रासिंग कुल्हौरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस भी बरामद किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना तिकुनिया पर मु0अ0सं0 45/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सतीश पुत्र प्रमोद नि0 सुथना बरसोला थाना तिकुनिया जनपद खीरी

बरामदगी-

01 अदद चोरी की बैट्री
01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर
01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 योगेश कुमार
2-का0 शिव कुमार
3-का0 हरिकेश सिंह

<u>थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त पवन राणा पुत्र रमेश राना को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण,बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 03.03.23 को थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध चाकू बरामद करके अभियुक्त पवन राणा पुत्र रमेश राना निवासी सुथना वरसोला थाना तिकुनिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना तिकुनिया पर मु0अ0सं0 42/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया है।

<u>वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का विवरण</u>

1. थाना शारदानगर पुलिस द्वारा अ0सं0 1465/22 धारा 498A/304/506 भादवि में वांछित अभियुक्त सूरज उर्फ कमलेश पुत्र ओमप्रकाश थाना शारदानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध वृहद स्तर पर कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 808 लीटर अवैध शराब, 14 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 47 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जनपद के विभिन्न थानों द्वारा इस अभियान के तहत पुलिस टीम का गठन किया गया है जिनके द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र के गांवों में दबिश देकर अवैध शराब का निर्माण करने वालों को गिरफ्तार करके मौके पर भारी मात्रा में लहन नष्ट किया जा रहा है। इसी क्रम में विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 808 लीटर अवैध कच्ची शराब, 14 अवैध शराब भट्ठी व शराब बनाने के विभिन्न उपकरण बरामद कर 47 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किए गए। साथ ही मौके पर भारी मात्रा में लहन भी नष्ट किया गया है।